रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222792 CG-DL-E-28102020-222792

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3411] No. 3411] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2020/ कार्तिक 6, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2020

#### समकरण उदग्रहण

का.आ. 3865(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 179 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समकरण उदग्रहण नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समकरण उदग्रहण (संशोधन) नियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. समकरण उदग्रहण नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(कक) "इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड" से प्रधान महानिदेशक आय कर (प्रणाली) या महानिदेशक, आय कर (प्रणाली) द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अधिकथित डाटा संरचना और मानकों के अनुसार विनिर्दिष्ट सेवाओं का विवरण देने वाले व्यक्ति का इलैक्ट्रानिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए जनित कोड अभिप्रेत है;

5247 GI/2020 (1)

- 3. उक्त नियमों के नियम 3 में.-
  - (क) शीर्षक में "विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;
  - (ख) "विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिफल की रकम और" शब्दों के स्थान पर "प्रतिफल की रकम" शब्द रखे जाएंगे ।
- 4. उक्त नियमों के, नियम 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-
  - "4. समकरण उदग्रहण का संदाय निर्धारिती या ई-वाणिज्य आपरेटर, जैसी भी स्थिति हो, जिससे समरण उद्धहण की कटौती और संदाय करना अपेक्षित है ऐसे उदग्रहण की रकम का भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में समकरण उदग्रहण चालान के साथ जमा करके संदाय करेगा।
  - 5. विनिर्दिष्ट सेवाओं या ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं का विवरण. (1) अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण प्ररूप सं. 1 में सम्यक रूप मे उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित होगा और उसे निर्धारिती या ई-वाणिज्य आपरेटर, जैसी भी दशा हों, द्वारा निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत किया जा सकेगा, अर्थात् :-
  - (i) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में ;
  - (ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में ।
- (2) अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित प्ररूप सं. 1 में विवरण उस वित्तीय वर्ष के तुरंत पश्चातवर्ती 30 जून को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (3) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), जैसी भी दशा हो, डाटा के सुरक्षित कैप्टर और पारेषण को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए –
  - (i) प्ररूप सं. 1 का इलैक्ट्रानिक फाइल करने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करेगा ;
- (ii) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए उप-नियम (2) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के सृजन का डाटा संरचना, मानक और रीति अधिकथित करेगा;
- (iii) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ; और
- (iv) अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित पुनरीक्षित विवरण प्रस्तुत करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा।
- 5. उक्त नियमों के नियम 6 में,-
- (क) शीर्षक में "विनिर्दिष्ट सेवाओं" शब्दों के पश्चात् "अथवा ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (ख) "जहां कोई निर्धारिती" शब्दों के स्थान पर "जहां कोई निर्धारिती या ई-वाणिज्य पूर्ति जैसी भी दशा हो" शब्द रखे जाएंगे।
- 6. उक्त नियमों के नियम 7 के परंतुक में "निर्धारिती" शब्द के स्थान पर "निर्धारिती या ई-वाणिज्य आपरेटर, जैसी भी स्थिति हो" शब्द रखे जाएंगे ;
- 7. उक्त नियमों के नियम 8 के, उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

- "(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अपील का प्ररूप, उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसे निर्धारिती या ई-वाणिज्य आपरेटर, जैसी भी स्थिति हो" को यथा लागू नियम 5 के अधीन विवरण सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।
- (3) प्ररूप सं. 3 के साथ किसी दस्तावेज को उस रीति में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें प्ररूप सं. 3 प्रस्तुत किया जाता है।
- (4) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), जैसी भी दशा हो, डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए
  - (i) प्ररूप सं. 3 को इलैक्ट्रानिक फाइल करने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करेगा ;
- (ii) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए उप-नियम (2) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के सुजन का डाटा संरचना, मानक और रीति अधिकथित करेगा ; और
- (iii) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनः प्राप्त नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।"।
- 8. उक्त नियमों के नियम 9 में, "निर्धारिती" शब्द के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "निर्धारिती या ई-वाणिज्य आपरेटर, जैसी भी स्थिति हों" शब्द रखे जाएंगे।
- 9. उक्त नियमों के परिशिष्ट में.-
  - (क) प्ररूप सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

#### प्ररूप सं. 1

[समकरण उद्गहण नियम, 2016 का नियम 5 देखें]

#### विनिर्दिष्ट सेवाओं या ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं का विवरण

ईएल - 1

					_>.
•	कृपया	अनुदशा	का	अनुसरण	कर

ं केवल स्पष्ट अक्षरों का उपयोग करें

।. कृपया निम्नलिखित में से सही का निशान () लगाएं, जो लागू हो;

<u>निर्धारिती</u>	
<u>ई-वाणिज्य</u>	
<u>आपरेटर</u>	

केवल कार्यालय उपयोग के

अभिस्वीकृति

लिए

II. (i) धारा 167(1)/धारा 167(2) विलंबित/पुरनीक्षित/धारा 167(3) के अधीन फाइल किया

गया विव	रण																						
(ii) दस्त	ावेज प	<b>ग्</b> हचा	न सं	ख्या	<sup>-</sup> , र्या	दे धा	रा	167	7 (3	3) वे	<b>ह</b> अ	धीन	न प	नाइ	ल ि	केय	π ग	या	है .	 			
 1. नाम																					_	प्राप्ति सं. ता	रीख
 2. पता																							
3. स्थार्य	ो खात	ा संख	यांक	(पैन	न)/अ	ाधार	-																
4. वित्ती	य वर्ष	:																					
																						- 🗍	
5. वार्ड/स	सर्कल <i>ि</i>	रेंज																				(रुपए में)	

### 6. प्रतिफल की कुल रकम

- (i)संदत्त/जमा किए गए विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए (निर्धारिती की दशा में)
  - (ii) ई-वाणिज्य पूर्ति से प्राप्त या प्राप्त होने योग्य प्ररुप (ई-वाणिज्य आपरेटर की दशा में)
- 7. मद 6 पर समकरण उद्ग्रहण
- कटौती किया गया कुल समकरण उद्ग्रहण
   (ई-वाणिज्य आपरेटर की दशा में लागू नहीं)
- 9. संदत्त कुल समकरण उद्ग्रहण
- 10. संदेय/प्रतिदाय समकरण उद्ग्रहण (7-9)
- 11. धारा 167 के अधीन संदेय ब्याज

	•		
12	सदत्त	<u>ब्य</u>	ज

 					_

	•						

## भाग-ख (निर्धारिती के लिए)

कटौती किए गए और केंद्रीय सरकार के प्रत्यय में संदत्त समकरण उद्गहण के ब्यौरे

क्रम सं.	विनिर्दिष्ट सेवा	स्तंभ 2 में	स्तंभ 2 में	आधार यदि	संदत्त/जमा किए गए	विनिर्दिष्ट सेवाओ के	समकरण उद्ग्रहण	ब्याज	शास्ति	बीएसआर	चालान क्रम	वह तारीख,
	उपलब्ध कराने	विनिर्दिष्ट	विनिर्दिष्ट	उपलब्ध हो	विनिर्दिष्ट सेवाओं के	प्रतिफल के रकम के				कूट	सं.	जिसको रकम
	वाले अनिवासी	अनिवासी का	अनिवासी का		प्रतिफल की रकम	संदाय/जमा करने की						जमा की गई
	का नाम	पता	पैन, यदि			तारीख						
			उपलब्ध हों तो									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

## भाग-ख (ई-वाणिज्य आपरेटर के लिए)

केंद्रीय सरकार के प्रत्यय में संदत्त किए गए समकरण उदग्रहण के ब्यौरे

क्रम	वित्तीय वर्ष	प्रतिफल का	समकरण	ब्याज	शास्ति	बीएसआर	चालान	वह तारीख, जिसको
सं.	का तिमाही	रकम संदत्त/	उद्धहण			कूट	क्रम सं.	रकम जमा की गई
		जमा						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

\* क्रमश:\_जून, सितंबर, अक्तूबर और मार्च के अंतिम तिमाही हेतु प्रयुक्त क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3 और क्यू 4 ।

#### <u>सत्यापन</u>

मैं,	(बड़े अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र*/पुत्री_	जिसका
स्थायी खाता सं	है, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं सर्वो	त्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार
इस विवरण में दी गई सूचना सही 2016 के उपबंधों के अनुसार है ।	और पूर्ण है तथा वित्त अधिनियम, 2016 के अध्या	य 8 और समकरण उद्ग्रहण नियम,
मैं, यह और घोषणा करता हूं कि गं और मैं यह विवरण करने और उसक		की क्षमता में कर रहा हूं
तारीख		
स्थान		(नाम और इस्ताक्षर)

ईएल - 3

#### टिप्पणियां:

- 1. \*जो लागू न हो उसे काट दें।
- 2. "निर्धारिती" से निवासी अभिप्रेत है और जो कोई कारबार या वृत्ति कर रहा है या कोई अनिवासी, जिसका भारत में स्थायी स्थापन है, जिसके द्वारा किसी अनिवासी को विनिर्दिष्ट सेवा के संबंध में (वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा 166) संदत्त या संदेय समकरण उद्गहण की कटौती करना अपेक्षित है।
- 3. "ई-वाणिज्य आपरेटर" से कोई अनिवासी अभिप्रेत है, जो ऑनलाइन माल का विक्रय या ऑनलाइन सेवाओं का उपबंध या दोनों के लिए अंकीय या इलैक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म का स्वायी है, उसका प्रचालन या प्रबंध करता है तथा वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा 166क के अधीन समकरण उद्धहण संदत्त करने के लिए अपेक्षित है।
- 4.यह प्ररूप निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत और सत्यापित किया जाएगा--
  - (i) व्यष्टि या हिअकु की दशा में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय-कर विवरणी सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति;
  - (ii) कंपनी की दशा में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय की विवरणी सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या प्रधान अधिकारी ;
  - (iii) किसी अन्य दशा में प्रधान अधिकारी।

#### (ख) प्ररुप सं. 2 में, --

- (i) पैरा 6 में, शब्दों और अंकों "नियम 8; उस प्ररूप में यथाकथित सम्यक रूप से स्टाम्पित और सत्यापित" के स्थान पर "समकरण उदग्रहण नियम, 2016 के नियम 8" शब्द और अंक रखे जाऐंगे;
- (ii) पैरा 7 में, शब्दों और अंकों "नियम 9, उस प्ररूप में यथाकथित सम्यक रूप से स्टाम्पित और सत्यापित" के स्थान पर "समकरण उदग्रहण नियम, 2016 के नियम 9" शब्द और अंक रखे जाऐंगे;
- (ग) प्ररुप सं. 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

#### प्ररूप सं. 3

[समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 का नियम 8 देखें]

## आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील आयुक्त (अपील) का पदनाम

*की सं	

1.	आवेद	न का नाम और पता		
2.	स्थार्य	खाता संख्या /आधार		
3.	वित्त	वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है		
4.	निर्धा	ण अधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो		
5.	उस अ	दिश के ब्यौरे, जिसके विरुद्ध अपील की गई है		
	(क)	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा और उपधारा, जिसके अधीन वह आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है		
	(ख)	आदेश की तारीख		
	(ग)	मांग की सूचना की तामील करने की तारीख		
	(ঘ)	दस्तावेज पहचान संख्या		
6.		उस वित्त वर्ष के लिए कोई विवरण फाइल किया गया है, इ संबंध में अपील की गई है		हाँ /नहीं
6.1	यदि (	का उत्तर हाँ हैं तो विवरण फाइल करने की तारीख		
6.2	उद्ग्रहा	ऱ्या विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए कटौती किए गए समकरण ग का संदाय किया गया है ऱ्या ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के संबंध में किया गया या		
	उपबं	धेत या सुकर बनाया गया समकरण उद्धहण का संदाय गया है, यदि लागू हो ।	1 81 /981/919 981	
6.3	यदि (	5.2 का उत्तर हाँ हैं तो विवरण भरें		
	कूट	सआर संदाय की क्रम सं. रकम तारीख		
7.		आवेदक की दशा में किसी आयुक्त (अपील) के पास किसी वेत्त वर्ष के संबंध में कोई अपील लंबित है	हाँ /नहीं	
7.1	यदि 7	' का उत्तर हाँ हैं तो निम्नलिखित ब्यौरे दें	,	
	(क)	आयुक्त (अपील) जिसके पास अपील लंबित है		
	(ख)	अपील सं. और अपील फाइल करने की तारीख		
	(ग)	वित्त वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है		
	(ঘ)	निर्धारण अधिकारी, जिसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की गई है		

	(ङ)	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा और उपधारा, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है	
	(च)	ऐसे आदेश की तारीख	
8.	तथ्यों	का विवरण	
8.1	संक्षेप में मामले के तथ्य (1000 शब्दों से अनधिक)		
8.2	वह दस्तावेजी साक्ष्य, जिस पर निर्भर किया गया है		
9.	अपील	ा करने के आधार	
10.	वह प	ता, जिस पर अपीलार्थी को सूचना भेजी जा सकेगी	
11.	विवा	द की रकम:	
		(क) समकरण उदग्रहण	
		(ख) ब्याज	
		(ग) शास्ति	

#### सत्यापन का प्ररूप

मं,	, आवेदक घोषणा करता हू कि पूर्वाक	त किया गया कथन मेरे सर्वात	तम ज्ञान और विश्वास
के अनुसार सत्य है ।	•		
आज तारीख	को सत्यापित ।		
स्थान			
तारीख			
			<del></del>
			हस्ताक्षर

#### टिप्पणियां :

- अपील का प्ररूप उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसे प्ररूप सं. 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं या ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के विवरण को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- 2. \* इन विशिष्टियों को आयुक्त (अपील) के कार्यालय में भरा जाएगा।
- 3. \*\*यदि अपीलें एक से अधिक वित्त वर्ष के संबंध में लंबित हैं तो प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में पृथक् विशिष्टियां दी जाएं।
- 4. अपील ज्ञापन के साथ एक हजार रुपए की फीस संलग्न होगी।

- 5. फीस को प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में निर्धारण अधिकारी से चालान अभिप्राप्त करके जमा किया जाएगा।"
  - (घ) प्ररूप सं. 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जायेगा, अर्थात :-

# प्ररूप सं. 4 [समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 का नियम 9 देखें]

अपील अधिकरण	को अपील का प्ररूप	ईएल – 4
	आय-कर अपील	अधिकरण मेंकी
अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी

1.	अपीलार्थी का स्थायी खाता संख्या/आधार	
2.	वह राज्य, जिसमें आदेश किया गया था	
3.	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की वह धारा, जिसके अधीन वह आदेश किया गया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई	
4.	आयुक्त (अपील) जिसने वह आदेश किया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है	
5.	वित्त वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है	
6.	मद 5 में निर्दिष्ट वित्त वर्ष के लिए प्रतिफल की कुल रकम (यथा लागु):	
	(क) संदत्त/जमा की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए	
	(ख) ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के संबंध में	
7.	मद सं. 5 में निर्दिष्ट वित्त वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा उद्ग्रहित शास्ति की कुल रकम	
8.	मूल आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी	
9.	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की वह धारा, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है	

10.	जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख	
11.	वह पता, जिस पर अपीलार्थी को सूचना भेजी जा सकेगी	
12.	वह पता, जिस पर प्रत्यर्थी को सूचना भेजी जा सकेगी	
13	अपील में दावा किया गया अनुतोष	
14.	विवाद की रकम:	
	(घ)  समकरण उद्धहण	
	(ङ) ब्याज	
	(च) शास्ति	

#### अपील के आधार

1.	2.	3.	4. आदि
हस्ताक्षर			हस्ताक्षर
(प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हों)			(अपीलार्थी)
	सत्य	ापन	
मैं,, अपीलार्थी	घोषणा करता हूं कि पूर	र्वोक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान	और विश्वास के अनुसार सत्य
है।			
आज तारीख व	តា	सत्यापित	
स्थान			
			हस्ताक्षर
			(अपीलार्थी)

#### टिप्पणियां :

1. अपील ज्ञापन तीन प्रतियों में होगा, जिसके साथ उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है कि दो प्रतियां (जिनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होनी चाहिए) निर्धारण अधिकारी के सुसंगत आदेश की दो प्रतियां, प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के आधारों की दो प्रतियां, उक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए तथ्यों के विवरण की दो प्रतियां, यदि कोई हों, संलग्न होंगी।

- 2. वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा 175 की उपधारा (1) के अधीन अपील ज्ञापन के साथ 1000 रुपए की फीस संलग्न होगी।
- 3. फीस के प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक की शाखा में चालान अधिप्राप्त करके जमा किया जायेगा और चालान तीन प्रतियों में अपील के ज्ञापन के साथ अपील अधिकरण को भेजा जायेगा। अपील अधिकरण चैक, ड्राफ्ट, हुंडियों या अन्य पराक्रम्य लिखतों को स्वीकार नहीं करेगा।
- 4. अपील ज्ञापन अंग्रेजी में लिखित होगा या यदि अपील को अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा आय-कर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित तत्समय अधिसूचित किसी राज्य में अवस्थित खंडपीठ में फाइल किया जाता है तो अपीलार्थी के विकल्प पर हिंदी में होगी और उसमें संक्षेप में सुभिन्न शीर्षकों के अधीन बिना किसी तर्क के या विवरण के अपील के आधारों को रखा जाएगा तथा उन्हें क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित किया जाएगा।
- 5. \*अपील की संख्या और वर्ष को अपील अधिकरण के कार्यालय में भरा जाएगा।
- 6. अनुपयुक्त स्तंभों का लोप कर दें।
- 7. यदि उपलब्ध कराया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा।

#### \* टिप्पणियां

- कृपया नोट करें कि मिथ्या पैन/आधार को कोट करने पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 272ख के अनुसार 10,000/- रुपए की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
- 2. करदाता आय-कर के संदाय के लिए निम्नानुसार चैक/डिमांड ड्राफ्ट आहरित/जारी कर सकेंगे :

	_आय-कर	खाता	में संदाय	ा करें	(उस बैं	क का	नाम,	जहां	चालान	जमा	किया	जा	रहा
है)													

कृपया सुनिश्चित करें कि बैंक अभिस्वीकृति में निम्नलिखित अंतर्विष्ट हैं :-

- 1. बैंक शाखा का 7 अंकों का बीएसआर कोड
- 2. चालान जमा करने की तारीख (दिन मास वर्ष)
- चालान की क्रम संख्या

इनको विनिर्दिष्ट सेवाओं या ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के विवरण में उद्दृत किया जाना है ।

[अधिसूचना सं. 87/2020/ फा. सं. 370142/21/2020-टीपीएल]

नीरज कुमार, उप सचिव (कर निति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1905 (अ), तारीख 27 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2020

#### **EQUALISATION LEVY**

- **S.O.** 3865(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of Section 179 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Equalisation levy Rules, 2016, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Equalisation levy (Amendment) Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Equalisation levy Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
  - '(aa) "electronic verification code" means a code generated for the purpose of electronic verification of the person furnishing the statement of specified services as per the data structure and standards laid down by the Principal Director- General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be;'.
- 3. In the said rules, in rule 3,-
  - (a) in the heading, the words "for specified services" shall be omitted;
  - (b) for the words "The amount of consideration, for specified services and", the words, "The amount of consideration" shall be substituted.
- 4. In the said rules, for rules 4 and 5, the following shall be substituted, namely:-
  - **"4. Payment of Equalisation levy.** The assessee or e-commerce operator, as the case may be, who are required to deduct and pay equalisation levy, shall pay the amount of such levy, by remitting it into the Reserve Bank of India or in any branch of the State Bank of India or of any authorised Bank accompanied by an equalisation levy challan.
  - **5. Statement of specified services or e-commerce supply or services.** (1) The statement required to be furnished under sub-section (1) or sub-section (2) of section 167 of the Act shall be in Form No. 1, duly verified in the manner indicated therein, and may be furnished by the assessee or e-commerce operator, as the case may be, in the following manner, namely:-
    - (i) electronically under digital signature; or
    - (ii) electronically through electronic verification code.
  - (2) The statement in Form No. 1 required to be furnished under sub-section (1) of section 167 of the Act shall be furnished on or before the 30th day of June immediately following that financial year.
  - (3) The Principal Director-General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, for the purpose of ensuring secure capture and transmission of data, shall-
    - (i) lay down the procedure for electronic filing of Form No.1;
    - (ii) lay down the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub rule (2), for the purpose of verification of the person furnishing the said form;
    - (iii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said form so furnished; and
    - (iv) specify the manner of furnishing the revised statement required to be furnished under sub-section (2) of section 167 of the Act."
- 5. In the said rules, in rule 6,-

- (a) in the heading, after the words "specified services" the words "or e-commerce supply or services" shall be inserted;
- (b) for the words "Where an assessee fails", the words, "Where an assessee or e-commerce operator, as the case may be, fails" shall be substituted.
- 6. In the said rules, in rule 7, in the proviso, for the word "assessee", the words "assessee or e-commerce operator, as the case may be," shall be substituted;
- 7. In the said rules, in rule 8, for sub-rules (2), (3) and (4), the following shall be substituted, namely:-
  - "(2) The form of appeal referred to in sub-rule (1), shall be verified by the person who is authorised to verify the statement under rule 5, as applicable to the assessee or e-commerce operator, as the case may be.
  - (3) Any document accompanying Form No. 3 shall be furnished in the same manner in which the Form No. 3 is furnished.
  - (4) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, for the purpose of ensuring secure capture and transmission of data, shall-
    - (i) lay down the procedure for electronic filing of Form No.3;
    - (ii) lay down the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub rule (2), for the purpose of verification of the person furnishing the said form; and
    - (iii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said form so furnished.".
- 8. In the said rules, in rule 9, for the word "assessee" at both the places where they occur, the words "assessee or e-commerce operator, as the case may be" shall be substituted.
- 9. In the said rules in the APPENDIX, -
  - (a) for Form No. 1, the following Form shall be substituted, namely: -

#### "FORM NO. 1

[See rule 5 of Equalisation levy Rules, 2016]

#### Statement of Specified Services or E-Commerce Supply or Services

Delease follow instructions.

□ Use block letters only.

I. Please tick ( ✓ ) from the following which is applicable:

Assessee

E-Commerce Operator

II. (i) Statement filed under: Section 167(1)/167(2) (Belated/ Revised)/167(3) (ii) Document Identification Number, if filed u/s 167(3):

1. NAME

2. ADDRESS
3. PERMANENT ACCOUNT NUMBER/ AADHAAR
4. FINANCIAL YEAR
5. WARD/ CIRCLE/ RANGE (IN RS.)
6. TOTAL AMOUNT OF CONSIDERATION
(i) FOR SPECIFIED SERVICES PAID/ CREDITED
(IN CASE OF ASSESSEE)  (ii) RECEIVED OR RECEIVABLE FROM E-COMMERCE SUPPLY OR SERVICES
(IN CASE OF E-COMMERCE OPERATOR)
7. EQUALISATION LEVY ON ITEM 6
8. TOTAL EQUALISATION LEVY DEDUCTED (Not applicable in case of e-commerce operator)
9. TOTAL EQUALISATION LEVY PAID
10. EQUALISATION LEVY PAYABLE/ REFUNDABLE (7-9)
11. INTEREST PAYABLE UNDER SECTION 170
12. INTEREST PAID

#### PART-B (For Assessee)

## DETAILS OF EQUALISATION LEVY DEDUCTED AND PAID TO THE CREDIT OF THE CENTRAL GOVERNMENT

Sl.	Name of	Address	PAN, if	AADHAAR,	Amount of	Date of	Equalisation	Interest	Penalty	BSR	Challan	Date on
No.	the non-	of the	available,	if available	consideration	payment/	levy			Code	Sl. No.	which
	resident	non-	of non -		for specified	credit of						amount
	providing	resident	resident		services paid/	amount of						deposited
	specified	referred	referred		credited	consideration						
	service	to in	to			for specified						
		column2	column 2			services						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

#### **PART-B** (For E-commerce Operator)

#### DETAILS OF EQUALISATION LEVY PAID TO THE CREDIT OF THE CENTRAL GOVERNMENT

Sl.	Quarter of the	Amount of	Equalisation	Interest	Penalty	BSR	Challan	Date on
No.	Financial Year*	consideration paid/	Levy			Code	Sl. No.	which
		credited						amount
								deposited
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

#### \*Q1, Q2, Q3 and Q4 to be used for Quarter ending June, September, October and March respectively.

VERIFICATION	V
--------------	---

Ι,	(full	name	in	blo	ck
letters), son*/ daughter of	having permanent	account	numb	er	
solemnly declare that to the best of my kno	wledge and belief t	he inforn	nation	given	in this
statement is correct and complete and in accorda	nce with provisions	of Chapte	r VIII	of the F	inance
Act, 2016 and Equalisation levy Rules, 2016.					
I further declare that I am making this st competent to make this statement and verify it.	tatement in my capa	city as	_and	I	am
Date					
Place					
		(1	Name a	and Sig	nature

#### **Notes:**

- 1. \*Delete whichever is not applicable.
- 2. "Assessee" means a resident and carrying on business or profession or a non-resident having a permanent establishment in India, who is required to deduct the equalisation levy from the amount paid or payable to a non-resident in respect of specified service (section 166 of the Chapter VIII of the Finance Act,2016).
- 3. "E-commerce operator" means a non-resident who owns, operates or manages digital or electronic facility or platform for online sale of goods or online provision of services or both, and is required to pay equalisation levy under section 166A of the Chapter VIII of the Finance Act, 2016.
- 4. This Form is to be furnished and verified by-
  - (i) in case of an Individual or HUF, the person authorised to verify the return of income under

section 140 of the Income-tax Act, 1961;

- (ii) in case of company, the person authorised to verify the return of income under section 140 of the Income-tax Act, 1961 or the Principal Officer;
- (iii) in any other case; the Principal Officer.".
- (b) in Form No. 2,-
  - (i) at para 6, for the words and figure "rule 8, duly stamped and verified as laid down in that form", the words and figures "rule 8 of the Equalisation levy Rules, 2016" shall be substituted;
  - (ii) at para 7, for the words and figure "rule 9, duly stamped and verified as laid down in that form", the words and figures "rule 9 of the Equalisation levy Rules, 2016" shall be substituted.
- (c) for Form No. 3, the following Form shall be substituted, namely: -

#### "FORM NO. 3

[See rule 8 of Equalisation levy Rules, 2016]

Appeal to the Commissioner of Income-tax (Appeals) Designation of the Commissioner (Appeals)

*No	of	 	 	 	 	 

EL - 3

							DL - 3
1.			lress of the app				
2.	Peri	nanent Ac	count Number	/ AADHAAR	_		
3.	pref	erred	in connection				
4.			icer passing th				
5.	Deta agai		order appeale	d			
	(a)	Finance	and sub-section Act, 2016, under was passed				
	(b)	Date of o	order				
	(c)	Date of s	service of the n	otice of dema			
	(d)	Docume	nt Identificatio	n Number			
6.	Whether a statement has been filed for the financial year in connection with which the appeal is preferred					Yes/No	
6.1			yes, date of fil				
6.2	` /		equalization 1 if applicable, h	•	l on specified	Yes/No/Not Applicable	
	(b) whether equalization levy in respect of e-commerce supply or services made or provided or facilitated, if applicable, has been paid					Yes/No/Not Applicable	
6.3	If re	ply to 6.2	is yes, then ent	er details			
	BS	SR Code	Date of payment	Sl. No.	Amount		
7.	year is pending in the case of the appellant with any Commissioner (Appeals)			Yes/No			
7.1	If re		yes, then give				
	(a)	Commiss pending;	sioner (Appeal	s), with whom	the appeal is		

	(b)	Appeal No. and date of filing of appeal;		
	(c)	Financial year in connection with which the appeal		
	(d)	has been preferred; Assessing Officer passing the order appealed against;		
	(e)			
		Finance Act, 2016, under which the Assessing		
	(2	Officer passed the order appealed against;		
0	(f)	the date of such order ement of facts		
<b>8.</b> 8.1		ts of case in brief (not exceeding 1000 words)		
8.2		of documentary evidence relied upon		
9.		unds of Appeal		
10.		dress to which notices may be sent to the appellant		
11.	Am	ount in dispute:		
	(a)	Equalisation levy:		
	. /	Interest:		
	(b)			
	(c)	Penalty:		
		Form of Verifica	tion	
		, the appellant, do hereby decormation and belief.	clare that what is st	tated above is true to the best
	Verif	ied today the day of		
	Date			
				Signature
N	otes:			S
			.1 . 1	
		rm of appeal shall be verified by a person who is a s or e-commerce supply or services in Form No. 1.	uthorised to verify	y the statement of specified
2. *	These	particulars will be filled in the office of the Commission	oner (Appeals).	
	-	opeals are pending in relation to more than one financial year may be given.	ial year, separate p	particulars in respect of each
4. T	he me	emorandum of appeal shall be accompanied by a fee of	one thousand rupe	es.
		e should be credited in a branch of the authorised Bar of the Reserve Bank of India after obtaining a challan f		
((	10 ر بـ	or Form No. 4, the following Form shall be substituted,	namery: -	
		"FORM N	IO. 4	
		[see rule 9 of Equalisat	ion levy Rules, 20	16]
		Form of Appeal to the	e Appellate Tribu	nal
				EL – 4
		In the Income-tax Appellate Tribunal		
		*Appeal No of		
		APPELLANT Versus	•••••	RESPONDENT
				ALSI ONDENI
1.		Permanent Account Number/ AADHAAR of the Appe	llant	

2.	The State in which the order was made	
3.	Section of Chapter VIII of the Finance Act, 2016 under which the	
	order appealed against was passed	
4.	The Commissioner (Appeals) passing the order appealed against	
<i>E</i>		
5.	Financial year in connection with which the appeal is preferred	
6.	Total amount of consideration for the financial year referred to in item	
	5 (as applicable):	
	(a) for specified services paid/ credited	
	(b) in respect of e-commerce supply or services	
7.	Total amount of penalty levied by the Assessing Officer for the	
	financial year referred to in item 5	
8.	The Assessing Officer passing the original order	
9.	Section of Chapter VIII of the Finance Act, 2016 under which the	
	Assessing Officer passed the order	
10.	Date of communication of the order appealed against	
11.	Address to which notices may be sent to the appellant	
11.	Address to which hotices may be sent to the appenant	
12.	Address to which notices may be sent to the respondent	
13.	Relief claimed in appeal	
14.	Amount in dispute:	
	(a) Equalisation levy	
	(b) Interest	
	(b) Interest	
	(c) penalty	

#### GROUNDS OF APPEAL

1.	2.	3.	4.	etc.	
Signed				5	Signed
(Authorised repr	resentative, if any)			(A	ppellant)
	•	Verification			
	, the appellant, do he mation and belief.	nereby declare that what	is stated	above is to	rue to the
Verified today t	he dag	y of			
Place					
					Signed

#### **Notes:**

1. The memorandum of appeal shall be in triplicate accompanied by two copies (at least one of which should be a certified copy) of the order appealed against, two copies of the relevant order of the Assessing Officer, two copies of the grounds of appeal before the first appellate authority, two copies of the statement of facts, if any, filed before the said appellate authority.

- 2. The memorandum of appeal under sub-section (1) of section 175 of Chapter VIII of Finance Act, 2016 shall be accompanied by a fee of one thousand rupees.
- 3. The fee shall be credited in a branch of the authorised Bank or a branch of the State Bank of India or a branch of the Reserve Bank of India after obtaining a challan and the triplicate challan shall be sent to the Appellate Tribunal with a memorandum of appeal. The Appellate Tribunal shall not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.
- 4. The memorandum of appeal shall be written in English or, if the appeal is filed in a Bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income -tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the appellant, in Hindi, and shall set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively.
- 5. \*The number and year of appeal will be filled in the office of the Appellate Tribunal.
- 6. Delete the inapplicable columns.
- 7. If the space provided is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose.

#### \* NOTES

- 1. Please note that quoting false PAN/ AADHAAR may attract a penalty of Rs. 10,000/- as per section 272B of the Income-tax Act, 1961.
- 2. Taxpayers may please draw/ issue Cheque/ DDs towards payment of income-tax as under:

Pay\_\_\_\_\_(Name of the Bank where the Challan is being deposited) A/c Income-tax

KINDLY ENSURE THAT THE BANK'S ACKNOWLEDGEMENT CONTAINS THE FOLLOWING:-

- 1. 7 DIGIT BSR CODE OF THE BANK BRANCH
- 2. DATE OF DEPOSIT OF CHALLAN (DD MM YYYY)
- 3. CHALLAN SERIAL NUMBER

THESE WILL HAVE TO BE QUOTED IN THE STATEMENT OF SPECIFIED SERVICES OR E-COMMERCE SUPPLY OR SERVICES.".

[Notification No. 87/2020 / F. No. 370142/21/2020-TPL]

NIRAJ KUMAR, Dy. Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1905 (E) dated the 27<sup>th</sup> May, 2016.